

10/5/17

प्राची व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी
उपस्थित/अनुपस्थित प्रकारण को लोक अदालत/
कैम्प कोर्ट में स्थान देना होगा। इस सहमत
है अतः प्रकरण को स्थगित किया
जाता है परन्तु 8/6/17 को
कैम्प कोर्ट/लोक अदालत सुनवाई करेगा।

४
ए.सी.इ.एम. (FT)
जोधपुर

8-6-2017 पत्रावली आज लखु काम कैम्प कोर्ट माणकलाव
पेश हुई। वार्दी मांगीलाल स्वयं उपस्थित हुआ।
जिसने जाहिर किया कि उसके एवं जलदाय विभाग
के मध्य भूमि विवाद स्पष्ट ही जाने से दावा
इन्तर्गत धारा 188, 88 RTA का दर्ज कराया गया था
परन्तु ^{वर्तमान में} मेरा कोई विवाद जलदाय विभाग से नहीं
रहा है। अतः मेरे द्वारा दावा कराया गया दावा
जाहिर विद्रोहल श्वास्ति किया जाता है। मुझे कोई
आपत्ति नहीं है।

मांगीलाल

पत्रावली को अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से इस प्रकरण की विवादित भूमि
डौली बनाम मन्दिर श्री लिकुमी नारायण जी की होना
प्राची गयी है। डौली एवं जलदाय विभाग के मध्य भी
कोई विवाद होना नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्त
परिदृश्य में यह वाद श्वास्ति किया जाता है। पत्रावली
फाँसल शुमार होकर वास्तव में दफ्तरी है।



कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
8/6/17